कार्यालय–जनपद न्यायाधीश, बस्ती।

संख्याः 129 /नजारत/नीलामी नोटिस, दिनांकित– 23.08.24

नीलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के राजकीय आवास परिसर एवं न्यायालय परिसर में सूखे/गिरे/झुके हुये **06** अदद वृक्षों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक **03.09.2024, दिन मंगलवार को सायंकाल 04.00 बजे** जनपद न्यायालय, बस्ती के वीडियो कान्फ्रेंसिंग हाल में नीलामी समिति की देखरेख में सम्पन्न की जायेगी।

उपरोक्त वृक्षों की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों/ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा–

01. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को मु0 **200.00** नकद प्रति फार्म की दर से नजारत कार्यालय से दिनांक **24.08.2024 से 30.08.2024** तक किसी भी कार्यालय दिवस में नीलामी फार्म प्राप्त करना होगा।

02. नीलामी में हिस्सा लेने हेतु आवेदक को जमानत राशि के रूप में मु0 **1000.00** रूपया नकद प्रति फार्म की दर से नीलामी फार्म के साथ दिनांक **31.08.2024 से 02.09.2024** तक किसी भी कार्यालय दिवस में जमा करना होगा।

03. नीलामी फार्म जमा करने वाले व्यक्ति/ठेकेदार ही नीलामी में भाग ले सकते हैं।

04. नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को संपूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। नीलामी में कम बोली बोलने वाले व्यक्ति/ठेकेदार व्यक्ति की जमानत धनराशि तुरन्त वापस कर दी जाएगी।

05. किसी भी व्यक्ति/ठेकेदार द्वारा लगायी गयी बोली को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बस्ती को होगा।

06. नीलामी में बोली स्वीकार होने की दशा में सम्बन्धित व्यक्ति/ठेकेदार को नीलामी में लिए गये उक्त सामग्री अपने व्यय पर 15 दिवस के भीतर ले जाना अनिवार्य होगा।

07. नीलामी की कार्यवाही कराने अथवा स्थगित करने अथवा तिथि बदलने का सम्पूर्ण अधिकार समिति को होगा।

09. उक्त वृक्षों के निस्तारण के पूर्व वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के तहत पातन अनुज्ञा हेतु **1000.00** प्रति वृक्ष की दर से राष्ट्रीय बचत पत्र व रूपया 100.00 प्रति वृक्ष की दर से अनुमति शुल्क वन विभाग में जमा करके उसकी छायाप्रति वन विभाग को जमा करते हुये रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

इस नोटिस की प्रतियां विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु जनपद न्यायालय, बस्ती के समस्त नोटिस बोर्डो, जिला अधिकारी बस्ती, पुलिस अधीक्षक बस्ती, विकास भवन बस्ती, रेलवे स्टेशन बस्ती, रोडवेज, जिला सेवा योजन कार्यालय, बस्ती आदि समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्डों एवं सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराया जाये। इस नोटिस /सूचना का प्रकाशन किसी स्थानीय समाचार पत्र में कराया जाये।

Siddharth 23.08.24	Sandeep 23/08/24	23/8/24	23/08/2024
(सिद्धार्थ बरगोती)	**(संदीप)**	**(विजय कुमार कटियार)**	**(शिवचन्द)**
सदस्य नीलामी समिति	**सदस्य नीलामी समिति**	**सदस्य नीलामी समिति**	**अध्यक्ष नीलामी समिति**
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, बस्ती।	अपर मुख्य न्यायाधीश प्रथम, बस्ती।	अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट,बस्ती।	प्रथम अति0जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती।

Seen,
23/8/24